भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक : एफ 1008 (86)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/764 दिनांक 31-05-18

परिपत्र

विषयः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत मरीज का सत्यापन बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से किये जाने बाबत।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत मरीज का सत्यापन बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में समय समय पर राज्य स्तर से दिशा–निर्देश जारी किये जाते रहे हैं तथा प्रशिक्षण के दौरान भी यह सुनिश्चित करने हेतु बताया जाता रहा है। बीमा कंपनी के साथ राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंश एजेंसी के अनुबन्ध के अनुसार मरीज का सत्यापन यथा–संभव बायोमेट्रिक मशीन से किया जाना आवश्यक है। इस मशीन के दौरान सत्यापन न होने की स्थिति में ही अन्य वैकल्पिक तरीके से (एमओआईसीयू रूट) से किया जा सकता है। परन्तु ऐसा देखने में आया है कि कुछ अस्पतालों द्वारा एमओआईसीयू रूट का उपयोग अनावश्यक रूप से भी किया जा रहा है। ऐसा होने के कारण बीमा कंपनी द्वारा पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों के क्लेम काफी संख्या में रिजेक्ट किये गये हैं तथा कारण में यह लिखा गया है कि बायोमेट्रिक डिवाईस द्वारा किये गये तीन प्रयास बीमा कंपनी को नहीं दिख रहे हैं।

उपरोक्त स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु बीएसबीवाई सॉफ्टवेयर में यह प्रावधान कराया गया है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, मरीज के सत्यापन के दौरान किये गये तीन प्रयास बीमा कंपनी को प्रदर्शित होगें। मरीज को भर्ती करने के दौरान निम्न दो कारणो की वजह से सत्यापन हेतु किये गये प्रयास असफल हो सकते हैं इनका विवरण निम्नानुसार है–

1. IT Service Failure – आधार सर्वर मे कोई तकनीकी त्रुटि होने के कारण केस स्टेटस ट्रैकर मे IT Service Failure प्रदर्शित होगा। इसके सामने मरीज के सत्यापन हेतु किये गये प्रयासो की संख्या भी प्रदर्शित होगी।
2. Administrative Error – अस्पताल के स्तर पर लगाई गयी मशीन मे कोई त्रुटि होने पर यथा ड्राइवर इंस्टॉल ना होना, आर.डी. सर्विस फेलियर होना, मशीन रजिस्ट्रर्ड ना होना आदि होने पर Administrative Error प्रदर्शित होगा। इसके सामने मरीज के सत्यापन हेतु किये गये प्रयासो की संख्या भी प्रदर्शित होगी। इस अवस्था में अस्पताल MOIC रूट लेने से पहले अपने स्तर पर लगाई गई मशीन की त्रुटियाँ अवश्य सुधार लेवें। तकनीकी सहायता के लिए CO-IT BSBY से (softwarebsbyraj@gmail.com) पर सपर्क किया जा सकता है।

नोट – उपरोक्त दोनो मरीज की भर्ती के उपरान्त केस स्टेटस ट्रैकर मे प्रदर्शित होगे तथा क्लेम सबमिशन के उपरान्त बीमा कम्पनी को भी प्रदर्शित होगें।

यदि अस्पताल, मरीज के सत्यापन हेतु बायोमेट्रिक डिवाईस से तीन बार IT Service Failure के बिना ही एमओआईसीयू रूट से सत्यापन करता है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा क्लेम सीधे ही रिजेक्ट किया जा सकता है चाहे ऐसी स्थिति में क्लेम दस्तावेजों के साथ एनेक्जर–2 संलग्न किया गया हो। administrative error होने पर MOIC rout admissible नहीं होगा।

अतः इस सम्बन्ध में आप सबको निर्देशित किया जाता है कि मरीज के सत्यापन के दौरान प्राथमिक रूप से बायोमेट्रिक डिवाईस का इस्तेमाल करें। एमओआईसी रूट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति में करें जब बायोमेट्रिक डिवाईस से तीन बार असफल प्रयास किया जा चुका हो। ऐसा न किये जाने की स्थिति में यदि बीमा कंपनी द्वारा क्लेम का रिजेक्शन किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अस्पताल की होगी।

उपरोक्त की पालना सुनिश्चित हों।

(नवीन जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंश एजेंसी,
मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक : एफ 1008 (86)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/764 **दिनांक 31-05-18**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सहायक, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी।
6. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. उप महाप्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी।
9. समस्त संयुक्त निदेशक (समस्त संभाग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
10. समस्त उपनिदेशक (सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना)।
11. समस्त प्रिंसीपल मेडिकल कॉलेज।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्प्ताल एवं उप जिला अस्पताल।
14. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.), राजस्थान।
15. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
16. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक (ग्रामीण एवं शहरी), राजस्थान।
17. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मे सम्बद्ध समस्त सरकारी एवं निजी अस्पताल, राजस्थान।
18. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंश एजेंसी,
मुख्यालय, जयपुर।